अल्पसंख्यक का दर्जा आबादी के आधार पर राज्यवार निर्धारित होना चाहिए: उच्चतम न्यायालय

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** अल्पसंख्यक वर्ग और संबद्ध मुद्दे, न्यायालय के निर्णय

संदर्भ

- हाल ही में, न्यायमूर्ति यूयू ललित, एस रवींद्र भट और सुधांशु धूलिया की पीठ ने हिंदुओं को कई राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उल्लिखित किया कि किसी भी समुदाय के धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य की आबादी के आधार पर राज्यवार निर्धारित होना चाहिए।
- शीर्ष न्यायालय के अनुसार, भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है। फलतः धार्मिक और भाषाई समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति "राज्य-निर्भर" है।

याचिकाकर्ता

- शीर्ष अदालत मथुरा के देवकीनंदन ठाकुर द्वारा एनसीएम अधिनियम के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को अल्पसंख्यक को परिभाषित करने और जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
- विदित है कि न्यायालय में दायर इस याचिका में कहा गया था कि यहूदी, बहावाद और हिंदू धर्म के अनुयायी लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं।
- किन्तु राज्य स्तर पर 'अल्पसंख्यक' की पहचान न होने के कारण वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने से वंचित हैं।

- यह भारतीय संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 29 और 30 के तहत गारंटीकृत उनके मूल अधिकारों के विरुद्ध है।

अल्पसंख्यक मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

- एक धार्मिक या भाषाई समुदाय, जो किसी विशेष राज्य में अल्पसंख्यक हैं, वह अनुच्छेद 29 और 30 के तहत सुरक्षा और स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने और चलाने के अधिकार का दावा कर सकता है।
- न्यायालय ने कहा कि क्या इस तरह के गैर-प्रमुख समुदायों को विशेष राज्य में 'अल्पसंख्यक' घोषित करने वाली एक विशिष्ट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता है।
- भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक और भाषाई समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति "राज्य-निर्भर" है।
- उदाहरण स्वरूप न्यायालय ने कहा कि यह न्याय का उपहास होगा, अगर मिजोरम और नागालैंड में बहुसंख्यक ईसाइयों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या पंजाब में सिखों को अल्पसंख्यक समुदाय माना जाए।
- वहीं मराठी भाषी लोग महाराष्ट्र के बाहर अल्पसंख्यक समुदाय होंगे, जबकि कन्नड़ बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक हैं।
- ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने की मांग की कि हिंदुओं को उन राज्यों में अल्पसंख्यक का लाभ नहीं मिल रहा है, जहां उनकी आबादी दूसरे समुदायों से कम है।

विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदू की स्थिति

- याचिकाकर्ता ने कुछ राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेश हिंदू आबादी संबद्ध आंकड़े प्रस्तुत किए, जहां हिंदुओं की आबादी दूसरे समुदायों से कम है।
- लद्दाख में हिंदुओं की आबादी 1 प्रतिशत, मिजोरम में 2.8 प्रतिशत, लक्षद्वीप में 2.8 प्रतिशत, कश्मीर में 4 प्रतिशत, नगालैंड में 8.7 प्रतिशत, मेघालय में 11.5 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 29 प्रतिशत, पंजाब में 38.5 प्रतिशत और मणिपुर में 41.3 प्रतिशत है।

केंद्र सरकार का पक्ष

- केंद्र सरकार ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि चूंकि यह विषय संविधान की समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्यों को भी अपने स्तर पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने का पूरा अधिकार है।
- कई राज्य सरकारें पहले भी अपने इस अधिकार का उपयोग करती रही हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र सरकार 2016 में यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा दे चुकी है।
- इसी तरह कर्नाटक सरकार तमिल, तेलुगू, उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं को अल्पसंख्यक भाषा के रूप में अधिसूचित कर चुकी है।

'टीएमए पाई' वाद (2002)

- सुप्रीम कोर्ट की 11 न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के दायरे से जुड़ा निर्णय दिया।
- 2002 में छह न्यायाधीशों के बहुमत के फैसले ने पंजाब में डीएवी कॉलेज से संबंधित दो अन्य मामलों का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह विचार करना था कि क्या पंजाब राज्य में हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यक थे।
- न्यायालय ने इस तर्क को निरस्त कर दिया कि चूंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक थे, इसलिए वे पंजाब राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं हो सकते थे।
- 2002 में टीएमए पाई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 30 से संबंधित मामलों का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जा सकता है।

'बाल पाटिल फाउंडेशन' वाद (2005)

- सुप्रीम कोर्ट ने 'बाल पाटिल' मामले में अपने फैसले में टीएमए पीएआई के फैसले का उल्लेख किया।
- "टीएमए पीएआई फाउंडेशन" मामले में ग्यारह जजों की पीठ के फैसले के बाद, कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब से भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों की स्थिति निर्धारित करने के लिए 'राज्य' इकाई के रूप में काम करेंगी।

- अनुच्छेद 30 के प्रयोजनों के लिए विभिन्न राज्यों की स्थापना का आधार भाषा होने के कारण, उस राज्य के संबंध में एक "भाषाई अल्पसंख्यक" निर्धारित करना होगा, जिसमें शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की मांग की गई है।
- धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में स्थिति समान है, क्योंकि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 में समान रखा गया है.'

भारतीय कानूनों के तहत अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है?

- "अल्पसंख्यक" शब्द का संविधान के कुछ अनुच्छेदों में चर्चा की गई है, किन्तु कहीं भी इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
- अल्पसंख्यक वे समुदाय होते है, जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
- केंद्र सरकार ने 1993 में मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और बौद्ध को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था।
- 2014 में जैन धर्म के लोगों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था।
- अपने हलफनामे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के 1957 के एक निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा है कि किसी राज्य में अगर किसी धर्म या भाषा के आधार पर लोगों की आबादी 50% से कम है, तो उसे अल्पसंख्यक माना जाएगा।

निष्कर्ष

- न्यायालय ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने से जुड़े मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है।

स्रोत: द हिन्दू

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** नीतियाँ और हस्तक्षेप

संदर्भ

- हाल ही में, लोकसभा में सूचित किया गया कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के अन्तर्गत 220 बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्रदान किया गया है।
- विदित है कि इस योजना में कोविड महामारी के दौरान अपने माता- पिता को खोने वाले बच्चों की समग्र सुरक्षा और देखभाल की जाती है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम

- क्या है?
  - पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम (PMCCS) की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई, 2021 को किया था।
  - इसके अंतर्गत उन बच्चों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिनके माता-पिता दोनों या वैध अभिभावकों की कोरोनावायरस महामारी से मृत्यु हो गई हो।
- लक्ष्य
  - इस योजना का लक्ष्य बच्चों की निरंतर व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है।
  - बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पोर्टल भी लॉन्च किया गया था।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लाभ

- शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करना
  - छह वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को पालन-पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा/ईसीसीई, टीकाकरण, स्वास्थ्य रेफरल और स्वास्थ्य जांच के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं से सहायता प्रदान किया जा रहा है।
  - 6-10 साल के बच्चों के लिए डे स्कॉलर के तौर पर किसी भी निकटस्थ विद्यालय में अर्थात सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, केंद्रीय विद्यालय (केवी), निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।
  - सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दो निःशुल्क यूनिफॉर्म और पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।
  - निजी स्कूलों में, आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत शिक्षण शुल्क में छूट दी जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में जहां बच्चा उपरोक्त लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है, आरटीई मानदंडों के अनुसार फीस पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से दी जाएगी।
  - इस योजना के तहत यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च के लिए भी भुगतान किया जाएगा।
  - 11-18 साल के बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है कि अगर बच्चा विस्तृत परिवार के साथ रह रहा है, तो डीएम द्वारा निकटतम सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, केन्द्रीय विद्यालयों (केवी), निजी स्कूलों में डे स्कॉलर के रूप में उसका दाखिला सुनिश्चित किया जा सकता है।
  - डीएम ऐसे बच्चों के लिए छुट्टियों के दौरान सीसीआई या किसी उपयुक्त स्थान पर रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं।
  - 6-10 आयु के बच्चों की तरह ही इस आयु वर्ग के बच्चों को भी आगे सुविधाएं मिलती रहेंगी।
  - वहीं भारत में 18-23 आयु वर्ग वाले छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा हेतु सरकार द्वारा ऋण प्राप्त करने में मदद की जाएगी। शैक्षिक ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से किया जाएगा।
  - वहीं एक विकल्प के तौर पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं से पीएम

केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को मानदंडों के हिसाब से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

- स्वास्थ्य
  - सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा।
  - यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत चिह्नित बच्चे को आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिले।
  - इस योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए सरकार आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाकर देगी, जो उन्हें पांच लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार पाने में मदद करेगी। ऐसे बच्चों के 18 वर्ष के होने तक प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम-केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा।
  - इसके अतिरिक्त छह साल तक के बच्चों के पालन-पोषण के लिए उन्हें आंगनवाड़ी सेवाओं से मदद मिलेगी। यहीं उनके टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी निःशुल्क में उपलब्ध होगी।
- वित्तीय मदद
  - लाभार्थियों का खाता खोलने और सत्यापन करने पर एकमुश्त राशि सीधे लाभार्थियों के डाकघर खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रत्येक पहचाने गए लाभार्थी के खाते में इस तरह से राशि अग्रिम रूप से जमा की जाएगी, जिससे 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसका कुल कोष 10 लाख रुपये हो जाए।
  - बच्चों को 18 वर्ष की आयु के बाद, 10 लाख रुपये के कोष का निवेश करके मासिक ब्याज मिलेगा। लाभार्थी को 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ब्याज मिलता रहेगा। बच्चे के 23 साल पहुंचने पर यह 10 लाख रुपये की राशि उन्हें सौंप दी जाएगी।

वर्तमान स्थिति

- सरकार ने जिस अवधि में अपने माता-पिता और अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए यह योजना शुरू की है, उसके अब तक 33 राज्यों के 611 जिलों से 9042 आवेदन आ चुके हैं।
- विदित है कि इनमें से 31 राज्यों के 557 जिलों के 4345 आवेदनों को स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है, जबकि शेष विचाराधीन हैं।

स्रोत: न्यूज़ ऑन एआईआर

क्रिप्टोकरेंसी

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** आर्थिक मुद्दे

संदर्भ

- डिजिटल मुद्रा की सीमाहीन प्रकृति के दृष्टिगत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
- विदित है कि हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी पर किसी भी प्रभावी विनियमन या प्रतिबंध के लिए "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" की आवश्यकता को रेखांकित किया।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचित किया कि देश की मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर क्रिप्टोकरेंसी के अस्थिर प्रभाव पर आरबीआई द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को देखते हुए, आरबीआई ने इस क्षेत्र पर कानून बनाने की संस्तुति की है।
- आरबीआई के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी एक करेंसी नहीं है, क्योंकि हर आधुनिक करेंसी को सेंट्रल बैंक या सरकार द्वारा जारी करने की आवश्यकता होती है।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

- क्रिप्टोकरेंसी विनिमय का एक माध्यम है, जैसे रुपया या अमेरिकी डॉलर, किन्तु प्रारूप में यह डिजिटल है और मौद्रिक इकाइयों के निर्माण को नियंत्रित करने और पैसे के आदान-प्रदान को सत्यापित करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है।
- क्रिप्टोकरेंसी दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है। Crypto जोकि लैटिन भाषा का शब्द है। यह cryptography से बना है और जिसका आशय होता है, छुपा हुआ/हुई। वहीं जबकि Currency

शब्द भी लैटिन के currentia से आया है, जो कि रुपये-पैसे के लिए उपयोग होता है। फलतः क्रिप्टोकरेंसी को छुपा हुआ पैसा या गुप्त पैसा या डिजिटल रुपया कहा जाता है।

- बिटकॉइन को विश्व की सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी माना जाता है और बाजार पूंजीकरण के अनुसार, दुनिया में सबसे बड़ा है, इसके बाद एथेरियम का स्थान आता है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी की वर्तमान स्थिति

- क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मामलों पर गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने भारत में राज्य द्वारा जारी किसी भी आभासी मुद्राओं को छोड़कर, सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की संस्तुति की थी।
- विदित है कि मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को, आरबीआई द्वारा वर्ष 2018 के सर्कुलर को अलग करते हुए, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाओं को बहाल करने की अनुमति दी थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी बाजार में क्रिप्टोकरेंसी कारोबार पर चिंता व्यक्त की है और उल्लेख किया कि क्रिप्टोकरेंसी एक मुद्रा नहीं है, क्योंकि हर आधुनिक मुद्रा को केंद्रीय बैंक / सरकार द्वारा जारी करने की आवश्यकता होती है।
- मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को, आरबीआई द्वारा वर्ष 2018 के सर्कुलर को अलग करते हुए, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाओं को बहाल करने की अनुमति दी थी। आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी संबंधित सेवाओं को ("अनुरूपता" के आधार पर) प्रतिबंधित कर दिया था।
- 31 मई, 2021 को एक परिपत्र के माध्यम से, आरबीआई ने अपनी विनियमित संस्थाओं को सलाह दी कि वे अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) के मानकों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप वीसी में लेनदेन के लिए ग्राहक की उचित परिश्रम प्रक्रियाओं को जारी रखने, आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी), धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 आदि के तहत दायित्व के अलावा विदेशी प्रेषण के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

- वित्तीय स्थिरता बोर्ड एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बारे में निगरानी करता है और सिफारिशें करता है। इसमें भारत सहित समूह 20 देशों के अधिकारी शामिल हैं। इसने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वह अक्टूबर में क्रिप्टोकरेंसी के लिए "मजबूत" वैश्विक नियमों का प्रस्ताव कर सकता है।
- भारत सरकार ने इस वर्ष के अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ पर 30 प्रतिशत आयकर की शुरुआत की है। साथ ही, जुलाई में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े स्रोत पर 1 प्रतिशत कर कटौती के नियम लागू किए हैं।
- ध्यातव्य है कि आरबीआई नियमित अंतराल पर 2013 से आभासी मुद्राओं (VC) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आगाह कर रहा है।
- आरबीआई के अनुसार, वीसी में व्यवहार संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालन, कानूनी, ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

निष्कर्ष

- क्रिप्टो/ब्लॉकचैन एक वैश्विक घटना है और विभिन्न देशों द्वारा अलग-अलग नीतियों के आधार पर क्रिप्टो उद्योग को विनियमित करना मुश्किल होगा।
- क्रिप्टो विनियमन के लिए एक प्रभावी वैश्विक ढांचा बनाने की तत्काल आवश्यकता है।
- यद्यपि, जोखिमों और लाभों के मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कठिन है, क्योंकि ऐसे देश हैं, जिन्होंने पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए नीतियों को लागू किया है।

इंडियन एक्सप्रेस